Emerging Trends in Education [Vol. VI - No. 1. August 2015. pp 78-81]

समावेशी शिक्षा

डॉ0 उमेश सिंह*

समावेशी शिक्षा एक व्यापक संकल्पना है, जिसके तहत सामान्य विद्यालयों (मेनस्ट्रीम स्कूल) में सभी बच्चों को शिक्षा एवं विकास का समान अवसर सुलभ होता है। इसका मुख्य लक्ष्य है छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम् पर्यावरण में उपलब्ध कराना जिससे वे जीवन मार्ग पर सफल हो सकें। यह एक ऐसी पद्धति है जो यह तय कराती है कि हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठ भूमि, उम्र, लिंग आदि कोई अवरोध पैदा न करें।

इन्क्लुसिव एजुकेशन (समावेशी शिक्षा) का सर्वप्रथम प्रयोग सन् 1914 में स्पेन के सलामन्का शहर में आयोजित ''यूनेस्को' के 'स्पेशल नीड्स एजुकेशन' के वर्ल्ड कांफ्रेंस में किया गया था। इस सम्मेलन में 'फ्रेमवर्क फॉर एक्शन' में इनक्लुसिव स्कूल (समावेशी विद्यालय) को परिभाषित करते हुए कहा गया– ''इन समावेशी विद्यालय का कार्य अपने विद्यार्थियों की भिन्न–भिन्न आवश्यकताओं को जानना एवं उनके अनुरूप अपने को ढालना तथा अधिगम के भिन्न–भिन्न तरीकों को अपनाते हुए उपयुक्त पाठ्यचर्या, संगठनात्मक व्यवस्था , शिक्षण प्रक्रिया साधनों का एवं समुदाय के सहयोग से सभी विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करना है।

समावेशी शिक्षा के अर्न्तगत निम्न प्रकार के विद्यार्थी शिक्षा की जद में आयेंगे–

क) कार्यशील बच्चे।

ख) सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे।

ग) प्रवासी श्रमिकों के बच्चे।

घ) एच0आई0वी0 पॉजिटिव और ऐसे ही सभी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम बच्चे।

च) अन्य सभी प्रकार के बच्चे।

विद्यालयी शिक्षा में समावेशी शिक्षा की कल्पना को साकार करने के लिए सुरक्षा, आवास, शौचालय, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखकर उनकी रचनात्मक क्षमता का विकास भी करना होगा। शिक्षकों को, बच्चों के माता–पिता से बराबर सम्पर्क बनाए रखना होगा, जिससे वे उनकी प्रगति के बारे में उनको अवगत करा सकें और उनकी कमियों के बारे में उन्हें बता सकें । जहाँ तक सम्भव हो सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना होगा और यह जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा

* एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष शिक्षा शास्त्र विभाग, जी0डी0बिनानी पी0जी0 कालेज, मीरजापुर।

होगा। भाषागत् समस्याओं को ध्यान में रखकर तद्जनित समस्याओं को त्वरित रूप से दूर करने का प्रयास करना होगा और अंततः हमें एक ऐसी सार्वजनिक शिक्षा पद्धति की ओर अग्रसर होना होगा जो हर आम और खास को एक साथ लेकर चल सके।

भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षाः–

भारत में सर्वप्रथम शारीरिक रूप से अक्षम लोगों का विशेषीकृत विद्यालय 1969 में जेन ल्यूपाट (Jane Leupot) द्वारा खोला गया। यह विद्यालय दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए था। सन् 1887 में श्रवणबाधित व्याक्तियों के लिए विशेषीकृत विद्यालय बम्बई (वर्तमान मुम्बई) में खुला। इसी प्रकार के प्रयास को इसाई धर्म प्रचारकों ने 1887 में अमृतसर में ' शार्प मेमोरियल स्कूल फार ब्लाइन्ड' खोलकर आगे बढ़ाया। इसके उपरांत पालमकोरा (तमिलनाडु), कलकत्ता (कोलकाता) में भी दृष्टिहीनों के लिए विद्यालय स्थापित किए गए। स्वतंत्रता पूर्व कई भारतीय राजनेताओं तथा समाजसुधारकों– दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपतयराय तथा महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार से विभिन्न अवसरों पर समावेशी शिक्षा की माँग की। ब्रिटिश इंडिया सरकार ने भी समावेशी शिक्षा पर कई ठोस कदम उठाए साथ ही विकलांगता से ग्रस्त विद्यार्थियों के लिए 'सार्जेन्ट रिपोर्ट' प्रस्तुत की गई।

स्वतंत्रता के उपरान्त भारत सरकार ने भी इस ओर ठोस कदम उठाए। 1952–53 में 'माध्यमिक शिक्षा आयोग' ने अपनी रिपोर्ट में विकलांग बच्चों के लिए प्रत्येक प्रान्त में कुछ विशेष विद्यालयों की स्थापना की वकालत की। साथ ही तपेदिक आदि संक्रामक बिमारियों से ग्रस्त विद्यार्थियों के लिए 'ओपन एयर स्कूल' की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, जहाँ शिक्षा के साथ–साथ इलाज भी चले। 'कोठारी आयोग' (1964–66) ने भी विकलांगता पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

विकलांगता से ग्रस्त बच्चों के लिए 1974 में 'इन्टीग्रटेड एजुकेशन आफ डिसएबल्ड चिल्ड्रेन स्कीम ' सरकार द्वारा शुरू की गयी जिसके माध्यम से विकलांगता ग्रस्त बच्चों को किताबें, स्कूल ड्रेस एवं परिवहन व्यवस्था के लिए उन्हें, आर्थिक मदद की व्यवस्था की गयी। 1986 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गयी। इस बिल के द्वारा समावेशी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया तथा शिक्षा के माध्यम से विकलांगता ग्रस्त बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण–संस्थानों में, उन्हें 5 प्रतिशत सीटें, आरक्षित कर दी गयी। विकलांगता ग्रस्त बच्चों तथा वयस्कों के व्यापक समावेशी विकास के लिए एक ठोस कदम उठाते हुए सरकार ने 1995 में एक कानून 'पर्सन्स विथ डिसएबीसिटीज़ एक्ट' (Persons with disabilities act : 1995) पारित किया जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि सभी पहलुओं पर व्यापक ध्यान दिया गया। वर्तमान समय में इस कानून में कुछ संशोधन के लिए एक बिल "The Right of persons with disabilities bill 2014 " पुनः संसद में प्रस्तुत किया गया है।

सामवेशी शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ तथा निर्देशः–

सन् 1970 में UNESCO ने विकासशील देशों के लिए समावेशी शिक्षा को अन्य

विशेषीकृत शिक्षा के ऊपर वरीयता देते हुए यूनेस्को ने घोषणापत्र में इसे शिक्षा का सस्ता वैकल्पिक माध्यम बताया। इस सम्मेलन के लगभग 10 वर्षो के उपरान्त संयुक्त राष्ट्र (United Nation) द्वारा सन् 1981 को 'विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों का वर्ष' (Year of Disabled Person) घोषित किया। (U.N.) के वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ ऐक्शन के रिजोल्यूशन 37/52 के पैराग्राफ 120 में यह घोषणा की गई कि विकलांगता ग्रस्त बच्चों तथा वयस्कों को शिक्षा सामान्य विद्यालयीय परिवेश में तथा बिना किसी भेदभाव के सुलभ करानी चाहिए। जरूरतमंदों की शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 07–10 June 1994 को संयुक्त राष्ट्र तथा स्पेन सरकार के प्रयासों के तहत किया गया जिसे 'सलमान्का कांफ्रेंस' कहा गया। इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित समावेशी शिक्षा–

पूरे प्रदेश में सर्वशिक्षा, अभियान के अन्तर्गत 6–14 वय वर्ग के विकलांगों के लिए तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा योजना वर्ष 2001–2002 से व्यवस्थित रूप से संचालित की जा रही है। यह शिक्षा व्यवस्था एक तरह से विकलांगों के लिए तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नियमित रूप से सामान्य बच्चों को दी जाने वाली समान्य शिक्षा ही है तथा यह शिक्षा व्यवस्था उनके साथ होने वाली प्रत्येक शैक्षिक गतिविधियों में सहभागी बनने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर भी देती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान प्रदेश के सभी जिलों में प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र आरम्भ होने के साथ–साथ 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों के साथ–साथ अलग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा गंभीर रूप से विकलांग बच्चों की पहचान परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों की सहायता से की जाती है। शिक्षण सामग्री के विकास, अभिभावक परामर्श, आवासीय ब्रिज पाठ्यक्रम, विद्यालयों में रैंप का निर्माण, रिसोर्स सेन्टर के निर्माण द्वारा प्रदेश में समावेशी शिक्षा को मूर्त रूप दिया जा रहा है।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) में समावेशी शिक्षा के लिए उठाए गए कदम–

- विकलांगता ग्रसित बच्चों को मैट्रिक पूर्व (Prematric) छात्रवृत्ति योजना।
- विकलांगता ग्रसित बच्चों को मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति (Post Matric Scholarship)।
- विकलांगता ग्रसित बच्चों को विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त में कोचिंग की व्यवस्था
- उन जिलों में विकलांग बच्चों के लिए जो बहुविकलांगता के शिकार हैं, आवासीय विद्यालयों की स्थापना कराना जहाँ कोई भी सरकारी विद्यालय इनके लिए न हो।
- विकलांग या असक्षम बच्चों के लिए ''राजीव गाँधी राष्ट्रीय फेलोशिप'' की स्थापना।
- असक्षम बच्चों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (National Overseas Scholarship)।
- देश के पाँचों क्षेत्रों में प्रत्येक में श्रवणबाधित व्यक्तियों के लिए एक विद्यालय की स्थापना।
- असक्षम बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की योजना।

यहाँ एक बात स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा के महत्व को सरकार, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने माना है, साथ ही विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तथा व्यक्तिगत प्रयासों को भी हम नकार नहीं सकते। शिक्षाविद् इर्विन ने भी समावेशी शिक्षा को समाज के उस आधार के रूप में देखा है, जहाँ समाज की मानसिकता का पता चलता है। उनके अनुसार प्रत्येक विकलांग या असक्षम व्यक्ति को सामान्य माहौल में सबके साथ पढ़ने तथा बढ़ने का हक मिलना चाहिए। शिक्षाविद् हर्डमैन ने भी विकलांग बच्चों के लिए सामान्य विद्यालयीय माहौल की वकालत की है। भारत अगर समावेशी शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने में सफल रहा तो इसकी विशाल युवा शक्ति देश के निर्माण में अपना अतुलनीय योगदान देगी। भारत जननांकीय लाभ के उस दौर से गुजर रहा है जहाँ इसकी 50 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या युवा है और प्रत्येक युवा अपने आप में देश के लिए एक साधन है, बस जरूरत है तो इनको विकास के लिए अवसर प्रदान करने की, और समावेशी शिक्षा इसमें अपना अतुलनीय योगदान दे सकती है।

समावेशी शिक्षा का दायित्व केवल सरकार का या शिक्षकों का ही नहीं है, अपितु इसमें जन–जन की भागीदारी अपेक्षित है। इन बदलावों का अनुभव भी हम सामाजिक जागरूकता के रूप में देखते हैं। आज समाज का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया ने भी इस पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। समाज का आईना कहे जाने वाले सिनेमा ने भी इस क्षेत्र को कहीं न कहीं छूना शुरू कर दिया है। उदाहरणस्वरूप– ''तारे जमीन पर' में एक असक्षम बालक के मनोभावों तथा उसकी आवश्यकतानुसार उसे शिक्षा प्रदान करने को दिखाया गया है। यह बस कहीं न कहीं समावेशी शिक्षा की महत्ता को प्रकट करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

- आई0ई0डी0सी0 (1992) स्कीम आफ इंडिग्रेटेड एजुकेशन फार द डिसएबिल्ड चिल्ड्रेन, नयी दिल्ली, शिक्षा विभाग।
- केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी0ए0बी0ई0) (1944) पोस्ट फार एजुकेशनल डबलपमेन्ट इन इण्डिया, नयी दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय।
- भारतीय पुनर्वास परिषद् (2000) : स्टेट्स आफ डिसएबिलिटी इन इण्डिया, नयी दिल्ली, भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर0सी0आई0)।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1986 अ): नेशनल पालिसी ऑन एजुकेशन (1986), नयी दिल्ली, भारत सरकार।
- राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण संगठन (एन0एस0एस0ओ0) (1994): डिसएबिलिटी इन इण्डिया, एन0एस0एस0 फार्ता सेविंथ राउण्ड, सर्वेक्षण, जुलाई–दिसम्बर 1991, नयी दिल्ली : भारत सरकार।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन0सी0ई0आर0टी0) (1993) : चिल्ड्रेन फार एजुकेशन, ए रिपोर्ट, नयी दिल्ली : एन0सी0ई0आर0टी0।

Note for Contributors

The Journal welcomes research papers and review articles on any aspect of education and its allied disciplines. Articles submitted for the journal should be original contributions and should not be under consideration for any other publication simultaneously. In case the paper is accepted for publication by 'EMERGING TRENDS IN EDUCATION' it should not be published elsewhere in the same form without the written consent of the publisher. Copyright of published papers is reserved by the publisher.

All manuscripts sent for publishing will be reviewed by a group of referees. Please go through these instructions thoroughly before submitting an article. Contributions that are different from the specifications will be returned for correction before review. The editors are not supposed to rewrite a poorly written manuscript. So please ensure that your language is correct and follows proper style.

All articles should be sent in **English** (Times New Roman, font size-12) or **Hindi** (Kruti Dev 010, font size-14), typed in 1.15 or 1.5 line spacing, 6 points or 12 points paragraph spacing with 1.5 inch margins on all sides printed on one side of the A 4 size paper. Use bold, italics and small caps for section **Headings**, *Subheadings* and SUB-SUBHEADINGS respectively. Soft copies of all entries should be sent in a CD along with two hard copies of the same processed on MS Word 2003 / 2007. Tables should be prepared using 'table' function of MS Word. Do not use tabs or spaces for arrangement of rows and columns. Tables prepared using MS Excel will not be accepted. All figures and photographs should be in grayscale with good contrast preferably submitted in .tif or uncompressed .jpg format.

References should be given in the text as well as at the end, arranged alphabetically and chronologically. Contributors are requested to follow the following format of referencing:

In-text:

'(Author, Year)' or 'Author (Year)' as applicable. Provide page reference as '(Author, Year: Pages)' or 'Author (Year: Pages)'. Use 'et al.' in case of more than two authors.

End of text:

BOOK: Gardner, H (2000). *Intelligence reframed: multiple intelligences for the 21st Century*. New York, Basic Books.

ARTICLES IN JOURNAL: Frick, R.W. (1995). Accepting the null hypothesis. *Memory and Cognition*, 23, 132-138

ARTICLE IN EDITED BOOKS: Das, M.K. (2012). Teaching-learning strategies in early Buddhist education. In Pandey, K. (ed) *Innovative learning practices*, Faculty of Education, MGKVP, Varanasi: 41-46

UNPUBLISHED THESES: Roy, V. (2013). *Study of Naturalistic intelligence of secondary school students in relation to their values, adjustment and achievement*. Unpublished doctoral dissertation, MGKVP, Varanasi: 282

INTERNET RESOURCES: Meyer, M. (1998). *Learning and teaching through the naturalist intelligence*. Retrieved March 4, 2006, from www.newhorizons.org /strategies/ environmental/ meyer.htm.

Each submission should be as concise as possible, not exceeding 5000 words. An abstract of the paper should also be enclosed on a separate page confined to 300 words, which should comprise the summary of the entire paper and *not an introduction to it*. Please include title of the work, author's name, designation, complete address (postal as well as e-mail) and telephone numbers of all the authors in the cover page, clearly indicating the corresponding author. All research papers should normally be divided into following sections: Introduction, Objectives, Hypothesis, Methodology, Results, and Discussion.

Entries sent through e-mail to be sent at p.kalplata@gmail.com or mgkvp.proctor@gmail.com or vroy7164@yahoo.co.in. All editorial entries should be addressed to:

Prof. Kalplata Pandey
Department of Education
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi